तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व त[illegible] अहकाम जो [illegible] की तामील [illegible] हुए
10 अगस्त 2023	पत्रावली आज रिव्यु प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थनापत्र पर बहस हेतु पेश हुई। अधिवक्ता-प्रार्थी श्री रोशनलाल उपस्थित, जिन्होने निवेदन किया कि न्यायालय सहायक कलेक्टर (दक्षिण) जोधपुर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 356/2022 अनवान राजेन्द्र परिहार बनाम कमलादेवी में पारित आदेश दिनांक 10 मई 2022 के खिलाफ अदालत हाजा में प्रस्तुत अपील संख्या 2023-106 (जीसीएमएस संख्या 2023-231) अनवान रामदयाल बनाम राजेन्द्र परिहार इत्यादि जरिये आदेश दिनांक 13 जुलाई 2023 एडमिशन के स्तर पर ही खारिज कर दी गयी, जिसके खिलाफ यह रिव्यु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। चूंकि प्रश्नगत आदेश दिनांक 13 जुलाई 2023 इकतरफा ही पारित किया गया है इसलिए उसके खिलाफ प्रस्तुत आलौच्य रिव्यु प्रार्थनापत्र बाबत अप्रार्थीगण (मूल अपील में रेस्पो.) की सुनवाई की आवश्यकता नहीं है। अतः रिव्यु प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थनापत्र की बजाय मूल रिव्यु प्रार्थनापत्र बाबत ही अधिवक्ता-प्रार्थी की बहस समायत की जाकर निस्तारण किया जावे। अधिवक्ता-प्रार्थी के उपरोक्त निवेदन को स्वीकार करते हुए उनकी बहस मूल रिव्यु प्रार्थनापत्र बाबत सुनी गयी। अधिवक्ता-प्रार्थी ने अपनी बहस में रिव्यु प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए दृढतापूर्वक कथन किया कि अदालत हाजा द्वारा प्रश्नगत आदेश दिनांक 13 जुलाई 2023 के जरिये प्रार्थी की मूल अपील अपील संख्या 2023-106 (जीसीएमएस संख्या 2023-231) अनवान रामदयाल बनाम राजेन्द्र परिहार इत्यादि पोषणीय नहीं मानते हुए एडमिशन के स्तर पर ही खारिज कर दी गयी, जबकि निर्धारित विधिक प्रकिया अनुसार ऐसा नहीं किया जा सकता है। धारा 226 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत माननीय राजस्व मण्डल द्वारा ही मामले का एडमिशन के स्तर पर निस्तारण किया जा सकता है, राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अदालत हाजा द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश प्राइमा फेसाई एरर अपारेण्ट ऑन द फेस आफ रिकार्ड की त्रुटि से ग्रस्त होने के कारण प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर उक्त आदेश दिनांक 13 जुलाई 2023 खारिज किया जावे एवं मूल अपील प्रकरण में पुनः कार्यवाही आरम्भ की जावे। बहस पर मनन किया गया एवं संबंधित पत्रावलियों (रिव्यु प्रार्थनापत्र तथा मूल अपील) का अवलोकन किया गया। अदालत हाजा में प्रस्तुत अपील संख्या 2023-106 (जीसीएमएस संख्या 2023-231) अनवान रामदयाल बनाम राजेन्द्र परिहार इत्यादि की पत्रावली का अवलोकन करने पर विदित होता है कि उक्त अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर (दक्षिण) जोधपुर द्वारा राजस्व	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

प्रकरण संख्या 356/2022 अनवान राजेन्द्र परिहार बनाम कमलादेवी में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 10 मई 2022 के खिलाफ प्रस्तुत की गयी। अंतरिम आदेश के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत अपील पोषणीय/संधारणीय नहीं होने से तदनुसार जरिये प्रश्नगत आदेश उक्त अपील खारिज की गयी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 226 के इस प्रकार है -

> Sec. 226. Power of Board to reject an appeal summarily- The Board may either admit an appeal or may summarily reject it.

जाहिर है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की उक्त धारा 226 में माननीय राजस्व मण्डल की अपील की ग्रहणीयता के संबंध में शक्ति का प्रावधान किया गया है। किन्तु अदालत हाजा के समक्ष मूल अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत प्रस्तुत की गयी है और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 धारा 225 की उपधारा (1) इस प्रकार है: -

> 225. Appeal from orders—
> (1) An appeal shall lie from the final order passed on an application on the nature specified in the Third Schedule and from such other orders as are mentioned in Section 212 of this Act and in Section 104 of the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act, V of 1908) —
> (i) to the Collector, if such order is passed by a Tehsildar,
> (ii) to the Revenues, Appellate Authority, if such order is passed by an Assistant Collector, a Sub-Divisional Officer or a Collector, and
> (iii) to the Board if such order is passed by a Revenue Appellate Authority.

जाहिर है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225(1) में अधिनियम की तृतीय अनुसूची में वर्णित प्रकरणों में पारित किसी अंतिम आदेश के खिलाफ अपील पोषणीय/संधारणीय होना प्रावधित किया गया है। अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत मूल अपील धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रार्थनापत्र बाबत विचारण न्यायालय द्वारा पारित किसी अन्तिम आदेश की बजाय मात्र **अन्तरिम आदेश के खिलाफ पेश किये जाने** के कारण ही तदनुसार खारिज की गयी है।

अतः अदालत हाजा द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 13 जुलाई

राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	2023 में किसी भी प्रकार की कोई प्रथम दृष्टया अभिलेख के अवलोकन मात्र से प्रकट होने वाली त्रुटि/भूल (Prima facie error apparent on the face of record) नहीं पायी जाती है। फलतः प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसलशुमार किया जाकर नम्बर से कम किया जावे। मिसल बाद तामील-तकमील मूल अपील पत्रावली के साथ दाखिल दफ्तर की जावे।	
	आदेश सुनाया गया।	
	10.08.2023	
	राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर	
	राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर	